

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -731/2016/जयपुर

मैसर्स ओकाया पॉवर लि.  
आर-2, ट्रॉसपोर्ट नगर, जयपुर  
बनाम्  
सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन  
जोन प्रथम, जयपुर

.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ  
राजीव चौधरी, सदस्य  
नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :  
श्री विक्रम गोगरा  
अभिभाषक।  
श्री एन.के. वैद  
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 29.06.2018

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 449/अपील्स-प्रथम/आरवीएटी/जयपुर/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26, 61 एवं 55 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 19.12.2013 के जरिये कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिये कायम की गयी मांग राशियों में से अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखे जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन संभाग प्रथम, जयपुर द्वारा दिनांक 15.10.2013 को अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर पाया कि व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2010-11 में मोबाईल फोन एवं मोबाईल बैट्री की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से वेट वसूल किया जाकर राजकोष में जमा करवाया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा माना गया कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद मोबाईल बैट्री राजस्थान वेट अधिनियम की चतुर्थ सूची में अधिसूचित वस्तु नहीं होने के कारण यह अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ के तहत सामान्य कर दर 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश में 9 प्रतिशत की दर से अंतर कर 6,17,423/- एवं अधिनियम की धारा 55 के तहत 2,40,795/- रुपये ब्याज का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा

2m



लगातार.....2.




करापवंचन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गयी। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपील बिक्रीत उत्पाद मोबाईल बैट्री पर आरोपित धारा 61 की शास्ति को अपास्त किया तथा आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा बैटरी को मोबाईल का पार्ट नहीं मानते हुए इसे अवशिष्ट अनुसूची-IV के अन्तर्गत आच्छादित होना माना है जबकि उक्त वस्तु अधिनियम की अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 12 एवं 28 के अन्तर्गत आच्छादित होती है क्योंकि प्रविष्टि संख्या 12 में "Cellular Telephones" अंकित है एवं प्रविष्टि संख्या 28 में Parts of 1 to 27 above अंकित है अर्थात् बैटरी अधिनियम की अनुसूची-IV के पार्ट ए की प्रविष्टि संख्या 12 में अंकित "Cellular Telephones" का पार्टस होने से प्रविष्टि संख्या 28 में आच्छादित होती है, जिस पर आलोच्य अवधियों में कर देयता 4/5 प्रतिशत है न कि 14 प्रतिशत। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि मोबाईल बैटरी मोबाईल यंत्र का आवश्यक पार्ट है, जिसके बिना मोबाईल यंत्र कार्य नहीं कर सकता है। विशिष्ट मोबाईल बैटरी केवल मात्र विशिष्ट मोबाईल यंत्र में प्रयोग होती है एवं इसका अन्य कोई प्रयोग नहीं होता है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. एसटीआर पिटीशन नं० 129/2012 मैराथॉन इण्डिया लि० बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी पर निर्णय पारित किया गया है जिसके अनुसार बैटरी पर करदेयता 4/5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है। अतः अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये:-

(i) The High Court of Jaipur Bench Jaipur S.B. Revision Petition No. 129 of 2012 M/s Marathon India Ltd Vs Commercial Taxes Department, Circle "J", Jaipur Dated 02-12-2016

(ii) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 235 से 237/2015/जयपुर मैसर्स लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, जयपुर बनाम अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2017

2M



लगातार.....3.



- (iii) The High Court of Jaipur Bench S.B. Sales Tax Revision No. 386/2011 Assistant Commercial Tax Officer, Zone-II, Ajmer Vs M/s Swastik Battery Corporation, Ajmer Date 16-08-2015
- (iv) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1889 एवं 1890/2013/जयपुर मैसर्स एच.सी.एल. इंफोसिस्टक्स लिमिटेड जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 06.06.2017
5. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि मोबाईल के साथ विक्रय की गई मोबाईल बैटरी पर कर देयता किस दर से निर्धारित होगी?
8. इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. एसटीआर पिटीशन नं० 129/2012 मैराथॉन इण्डिया लि० बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी पर निर्णय पारित किया गया है, जिसके अनुसार बैटरी पर करदेयता आलौच्य अवधि के अनुसार 4/5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय का सुसंगत विवरण निम्नानुसार है -


".....This court in *ACTO V. M/s Swastik Agencies(supra)*, had an occasion to consider a case where battery which was fitted into a Motor Car and this court, after taking into consideration few of the judgments, held that same rate is to be applied on sale of batteries as that of a motor Car, though there was a finding that the batteries which are to be fitted in Motor Cars can be used for other diverse purposes then too, this court came to the conclusion that a nominal sale be that as it may of such batteries could not alter the nature of the transaction, whereas in the instant case there is a specific certificate of the Army Authority that the said battery can only be used as a part/integral part of RCRs, admittedly entire sale is to the ARMY only and for specific use alone.....

In the case of *Vikas Traders V. The State of Gujarat (supra)*, the court took into consideration as to whether batteries were component parts and there was a finding that batteries were being used for tractors as well, and tractor being not motor vehicle, therefore, claim of the Revenue was that different rate would apply, however, the court analysing the provisions, came to the conclusion that battery specifically falls as component part even though it has been used in a tractor and thus directed to apply the same rate. ....

The Allahabad High Court in the case of *Tudor India Limited V. State of U.P.2014 SCC Online All 11944*, had also a occasion of considering sale of automotive batteries and held that battery is an essential component for the functioning of tractor and is an integral part of tractor and, therefore, the same rate was required to be applied.

The Allahabad High Court in the case of *Commissioner of Sales Tax V. Banaras Battery Works 1981 U.P.T.C 974*, had an occasion to consider whether battery लगातार.....4.

2017





is an accessory or a part and it held that while an accessory has been held to be an article which is used for convenient and smooth functioning, whereas a battery cannot be said to be an accessory rather a vehicle is not complete without battery as the vehicle cannot operate without a battery, therefore, battery is a component part of motor vehicle and held that same rate is applicable.

The judgment in the case of State of Uttar Pradesh & Anr. V. Kores(India) Ltd. (supra) was relating to ribbon used in a typewriter, and the court found as finding of fact that it was an accessory and not a part of typewriter(unlike spool), though it may not be possible to use the latter without the former. The apex court also found that typewriters are being sold in market without a typewriter ribbon and, therefore, typewriter ribbon is not an essential part of typewriter so as to attract a lower rate of tax, and facts are distinguishable as in the instant case it is an integral part of RCR and cannot be separated. Taking into consideration the aforesaid and for the reason assigned, the claim of assessee, in my view, appears to be just and proper and the rate of 4% was rightly paid by the assessee and is not required to be interfered with. The petition succeeds and the order of Tax Board dt 28.03.2012 is reversed."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय इन प्रकरणों पर पूर्णतया बाध्यकारी एवं आच्छादित है। अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत बैटरी पर कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिये 5 प्रतिशत की दर से ही कर देयता है। इस बिन्दु पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर व ब्याज अपास्त कर अपीलीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत बैटरी पर कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिये 5 प्रतिशत की दर से ही कर देयता होने से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अन्तर कर व ब्याज अपास्त किया जाता है।
10. निर्णय सुनाया गया।

(<sup>10/2/16</sup>  
नन्दीराम)  
सदस्य

(<sup>29/06/16</sup>  
राजीव चौधरी)  
सदस्य